



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 536 -काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/18-5-काविनी एवं वे0प्र0-16

दिनांक 18 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- पदोन्नति पर मूल नियम- 22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।

सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर मूल नियम- 23(I) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि को अथवा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(I) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने की सुविधा का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये स्पष्टीकरण विषयक शासनादेशों क्रमशः वित्त वेतन आयोग, अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश क्रमशः सं0-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0/दस-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017, सं0-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01(वे0स0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 एवं सं0-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0स0)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 की अनुरूपता में कारपोरेशन कार्मिकों हेतु भी सम्बन्धित मामलों में तत्सम प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0-1301-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-05/काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 27.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2. वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-2/2018/जी-2-24/दस-2018-01(वे0स0)/2017 दिनांक 31.01.2018 द्वारा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व आगामी वेतन वृद्धि की तिथि के विनियमन की व्यवस्था को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तदनुसार कारपोरेशन कार्मिकों हेतु भी सम्बन्धित मामलों में, शासन की अनुरूपता में, वेतन निर्धारण किये जाने हेतु पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-1301-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-05/काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 27.11.2017 के प्रस्तर-3 उपबिन्दु (iii) एवं (iv) के आंशिक संशोधन में एतद्वारा निम्नवत स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैं:-

(क) कारपोरेशन के उपर्युक्त सन्दर्भित स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.11.2017 में उल्लिखित मूल नियम 22(बी)(1) का आशय वस्तुतः मूल नियम 22-बी(1) से है और कारपोरेशन के आदेश के निर्वचन में इसी नियम का संदर्भ लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.01.2016 से लागू किये गये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन की दशा में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही मानी जायेगी जैसा कि कारपोरेशन के आदेश सं0-999-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-5-काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर-9 में निर्धारित है।

(ख) ऐसे कार्मिक जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाये तो उन्हें आगामी 01 जनवरी का वेतन वृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त कार्मिक द्वारा 01 जुलाई को अपनी वेतन वृद्धि की तिथि को

(क्रमशः...2)

मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित कार्मिक को दिनांक 01 जुलाई को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित होगा।

इसी प्रकार ऐसे कार्मिक जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त कार्मिक द्वारा 01 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित कार्मिक को दिनांक 01 जनवरी को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित होगा।

3. उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उक्तवत प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न वेतन निर्धारण किया जा चुका हो उसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिक भुगतान की गयी धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक के आगामी भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।
4. उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेशन के आदेश सं0-1301-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-05/काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 27.11.2017 के प्रस्तर-3(III) के अन्तर्गत प्रदत्त विकल्प देने की सुविधा को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पुनः दिया जा सकेगा अथवा पूर्व में दिया गया विकल्प संशोधित किया जा सकेगा।
5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1301-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-05/काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 27.11.2017 की व्यवस्थाएँ उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।
6. उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण के अनुसार सम्बन्धित मामलों में समुचित वेतन निर्धारण की कार्यवाही/संशोधन हेतु पूर्व में कारपोरेशन के आदेश दिनांक 27.11.2017 के माध्यम से निर्गत क्रमशः संलग्नक-3 एवं -4, अब संलग्नक -3 (यथा संशोधित) एवं संलग्नक-4 (यथा संशोधित) संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

सं0 :- 536-(1)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः.....3)

3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gyanendra Rastogi
 (गायत्री रस्तोगी)
 संयुक्त सचिव (काविनी)

दि० 07.06.2018 का संलग्नक-3 (संशोधित)

उदाहरण:-3 यथा संशोधित संलग्नक-3 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात होने की स्थिति में वेतन निर्धारण:-

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रु० 3000 के तदनुसूची वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल-5	वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
	ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
2. प्रोन्नति की तिथि दि० 01.07.17	लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वेतन	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
3. प्रोन्नति की तिथि के पूर्व दिनांक 30.06.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 में प्राप्त मूल वेतन रु० 36600	1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
4. नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात दि० 01.07.17 को वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 में प्राप्त मूल वेतन रु० 37700	2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
5. प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल-6	3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300
6. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल-5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रु० 38800	4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
7. लेवल-6 में रु० 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रु० 39000	5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
8. प्रोन्नति की तिथि दि० 01.07.17 को लेवल-5 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रु० 39000	6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
9. कार्मिक की पदोन्नति दि० 02.01.17 से दि० 01.07.17 की अवधि में होने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.17 को सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति के फलस्वरूप वित्तीय नियम-22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश दि० 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि० 01 जुलाई, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि० 01 जुलाई, 2019 को अनुमन्य होगी	7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
	8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200
	9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200
	10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200

उदाहरण:-4 यथा संशोधित संलग्नक-4 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरान्तरण दिनांक 01 जुलाई, 2016 होने के पश्चात की स्थिति में वेतन निर्धारण:-

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन 3000 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल-5	वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
		1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
2. प्रोन्नति की तिथि 01.05.17	ग्रेड वेतन									
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.05.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 में प्राप्त मूल वेतन 36600	लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल-6	1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
	2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
	3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300
	4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
	5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
	6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
	7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
	8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200
	9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200
	10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200
5. मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि० 01.07.17 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि० 01.05.17 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल-6 में रू० 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू० 36800 यह वेतन दि० 01.05.17 से दि० 30.06.17 तक देय होगा।										
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि० 01.07.17 को लेवल-5 में एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रू० 37700										
7. प्रोन्नति पर मूल नियम 22-बी(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल-5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू० 38800										
8. लेवल-6 में रू० 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू० 39000										
9. वेतन वृद्धि की तिथि दि० 01.07.17 को लेवल-6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू० 39000										
10. कार्मिक की पदोन्नति दि० 02.01.17 से दि० 01.07.17 की अवधि में होने एवं वेतन वृद्धि की तिथि दि० 01.07.17 को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार प्रोन्नति पर मूल नियम-22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश दि० 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि० 01 जुलाई 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि० 01 जुलाई, 2019 को अनुमन्य होगी।										